फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत–उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

सतार खा पुत्र हसनखा मुसलमान निवासी पीपलुन्द ।

बनाम

कैलाश पिता भवाना खटीक निवासी पीपलुन्द वगैरह

मुकदमा नंबर 479/2024

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
27/05/2024	प्रार्थना पत्र सिगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम पीपलुन्द प.ह. पीपलुन्द आराजी सं. 3174/132 कुल किता 01 रकबा 0.4856 हैक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाने जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायलय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। ग्राम ग्राम पीपलुन्द प.ह. पीपलुन्द आराजी सं. 3174/132 कुल किता 01 रकबा 0.4856 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक पीपलून्द को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रूपये तय किए जाते है जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमे से 100रू राजकोष में जमा करावे। **पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे।** पालना हेतु तहसीदार जहाजपुर को लिखा जावें। **तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस /समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थित में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है।** पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें। आदेश आज दिनांक 27/05/2024 को खुलं न्यायालय में सुनाया गया। **उपखण्ड अधिकारी** **जहाजपुर जिला शाहपुरा**	

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

कमांक / रीडर / 2024 / 470 / 2024 दिनांक– 27 / 05 / 2024

निमित्त–

तहसीलदार जहाजपुर

विषयः– प्र.स. 470/2024 अंनवान सतार खा पुत्र हसनखा मुसलमान निवासी पीपलुन्द बनाम कैलाश पिता भवाना खटीक निवासी पीपलुन्द, रतन पिता भवाना खटीक निवासी पीपलुन्द, बरदू पिता भवाना खटीक निवासी पीपलुन्द, प्रभाती पत्नि चन्दालाल खटीक निवासी पीपलुन्द, हंसराज पिता काशी खटीक निवासी पीपलुन्द, सत्तार पिता सदरूद्दीन मुसलमान निवासी पीपलुन्द, तहसीलदार जहाजपुर वगैरह की पत्थरगढी की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम पीपलुन्द प.ह. पीपलुन्द आराजी सं. 3174 / 132 कुल किता 01 रकबा 0.4856 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक पीपलून्द को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 500 रूपये तय किए जाते है जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। **पत्थरगडी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस/समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है।** पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा

Scanned with OKEN Scanner